कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन,उत्तराखण्ड,देहरादून

(मसूरी वाईपास रोड, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिया न०–6 के समीप)

पत्रांकः 1066 / म०नि०नि० / 2022–23 दिनांक 10 मार्च, 2023

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी

उत्तराखण्ड।

विषयः– **लीसा विक्रय पर अनुमन्य स्टाम्प शुल्क की अध्यावधिक दर अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–636 / 2023 / XXVII(9) / यू0ओ0–स्टाम्प–08 / 2020 दिनांक 02 मार्च, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लीसा विक्रय पर अनुमन्य स्टाम्प शुल्क की अध्यावधिक दर अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–49 / XXVII(3) / 2023 / 63(1) / 2022 दिनांक 23 फरवरी, 2023 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्तानुसार पत्र की प्रति मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :: यथोक्त।

भवदीय,

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) / जिला निबंधक पौड़ी / टिहरी / चमोली / रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / अल्मोड़ा / बागेश्वर / चम्पावत / पिथौरागढ़।
2. सहायक महानिरीक्षक निबंधन देहरादून / हरिद्वार / ऊधमसिंहनगर / नैनीताल।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून

I/103676/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–636/2023/XXVII(9)/यू0ओ0–स्टाम्प–08/2020
देहरादूनः दिनांक 02 ~~फरवरी~~ मार्च, 2023

अपर सचिव,
वन अनुभाग–2,
उत्तराखण्ड, शासन।

लीसा विक्रय पर अनुमन्य स्टाम्प शुल्क की अध्यावधिक दर अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में चाहे गये विभागीय परामर्श के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर सम्यक् विचारोंपरान्त लिये गये निर्णयानुसार विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या–49/XXXVI(3)/2023/63(1)/2022, दिनांक 23 फरवरी, 2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोक्त।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 01-03-2023 20:12:38

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 636(1)/2023/XXVII(9)/यू0ओ0–स्टाम्प–08/2020तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून को उक्त अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 2023 की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

प्राप्त
1041
02/03/2023

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/03/2023 01:49 PM

क्रम संख्या–11

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 फरवरी, 2023 ई0

फाल्गुन 04, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 49 / XXXVI (3) / 2023 / 63(1) / 2022

देहरादून, 23 फरवरी, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 21 फरवरी, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 02, वर्ष–2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 18 का संशोधन

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–ख में अनुच्छेद 18 (विक्रय प्रमाणपत्र) में "उचित स्टाम्प–शुल्क" से सम्बन्धित स्तम्भ में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

"वही शुल्क जो केवल क्रय–धन की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण पत्र {संख्या 23 खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) जैसी भी स्थिति हो}पर लगता है।"

आज्ञा से,

शमशेर अली,
अपर सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

चल सम्पत्ति की नीलामी द्वारा विक्रय सम्बन्धी लिखतों तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2(10) "हस्तान्तरण–पत्र" के अन्तर्गत उल्लिखित चल सम्पत्ति के विक्रय सम्बन्धी लिखतों पर एक समान शुल्क प्रभार्य किये जाने हेतु भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

प्रेम चन्द अग्रवाल
मंत्री।

No. 49/XXXVI(3)/2023/63(1)/2022
Dated Dehradun, February 23, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2022 (Act No. 02 of 2023)'.**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 21 February, 2023.

THE INDIAN STAMP (UTTARAKHAND AMENDMENT) Act, 2022

(Uttarakhand Act No. 02 of 2023)

An

Act

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Uttarakhand.

IT IS HEREBY enacted by the Uttarakhand State legislature in the seventy third year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent and commencement

1. **(1)** This Act may be called the Indian Stamp (Uttarakhand Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of Uttarakhand.

(3) It shall come into force at once.

Statement of Objects and Reason

For imposing same fees on instrument related to sale of movable property by auction and instruments related to sale of movable property mentioned under conveyance section 2(10) of The Indian Stamp Act,1899, amendment in The Indian Stamp Act,1899 is necessary.

2- The proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Prem Chand Aggarwal
Minister

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 विधायी / 69–2023–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

Amendment of Article 18

2. In the schedule 1-B, to the Indian stamp act, 1899 in Article 18 (certificate of sale), in the column relating to the "proper stamp duty", for the existing provision following provision shall be inserted, namely:-

"The same duty as a conveyance {No. 23 clause (a) or clause(b); as the case may be}, for a consideration equal to the amount of the purchase money only."

By Order,

SHAMSHER ALI,
Additional Secretary.